न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

श्री प्रहलाद तिवाडी निवासी 10–जी–53 ए तिलकनगर भीलवाडा।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी करेडा, जिला भीलवाडा

प्रकरण संख्या :– 77/2025 जीसीएमएस नम्बर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.07.2025	–: निर्णय :– 1. पत्रावली आज पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। 2. अपीलार्थी ने अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र दिनांक 20.03.2025 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी करेडा से चाही गई थी, परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर, प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण दर्ज कर उभयपक्षकारान की तलबी हेतू नोटिस जारी किये गये। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी करेडा से प्राप्त सूचना अनुसार लोक सुचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 779 दिनांक 25–07–2025 से अवगत कराया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना न्यायालय में विचाराधीन है। जिसके संबंध में प्रार्थी को कार्यालय के पत्र कमांक 396 दिनांक 24.04.2025 को पत्र से सूचित किया गया कि वांछित सूचना न्यायालय से संबंधित होने से प्रार्थी/अधिकृत अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर सूचना सामान्य प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। जिसकी प्रतिलिपि उक्त अपील पत्रावली के अभिलेख पर मौजूद है। अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 30–07–2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (जसमीत सिंह संधू) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा	

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)